यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल के माह 02/2016 से 12/2016 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, श्री भानुप्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री विजय कुमार, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 18.01.2017 से 30.01.2017 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार एवं श्री देवेन्द्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 18.02.2016 से 02.03.2016 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 02/2013 से 01/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2016 से 12/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

   इकाई द्वारा जनपद में स्थापित चिकित्सा इकाईयों के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सम्पादन, अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद टिहरी गढवाल है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014–15	–	218.85	1025.16	923.20	1524.43	1261.47				474.38*
2015–16	–	474.38	1094.39	946.05	1752.64	1716.85				
2016–17 (12/2016 तक)	–	416.33	970.02	777.34	931.56	738.18				

* अवशेष बचत की धनराशि समर्पण की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवषेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014–15	एन0एच0एम0	–	–	–	–	–
2015–16		–	–	–	–	–
2016–17 (12/2016 तक)		–	–	–	–	–

(iii) इकाई को बजट आबंटन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

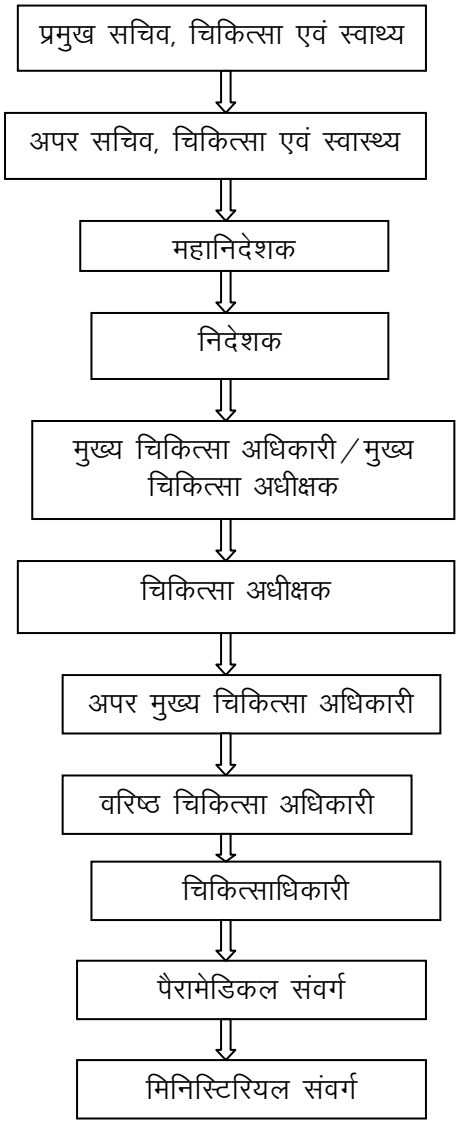

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह फरवरी 2016 को विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर 1: बीमा कम्पनी से समय पर प्रतिपूर्ति न किए जाने के परिणामस्वरुप रु0 35.94 लाख की हानि।

उत्तराखण्ड राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को संचालित किए जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 100–XXXVIII-4-2015-58/2014 TC दिनॉक 10.02.2015 में निर्देश निर्गत किए गये थे। निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारम्भ दिनॉक 26.01.2015 से किया गया, जिसके आदेश के बिन्दु संख्या 5 (1) एवं (2) के अनुसार रु0 50,000 तक के लाभ के लिए निर्धारित प्रीमियम दर रु0 335 x कुल आर0एस0बी0 आई0 आच्छादित परिवारों की संख्या का 25 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा आर0एस0 बी0आई0 आच्छादित परिवारों के अतिरिक्त एम0एस0बी0वाई0 के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों की संख्या का शत–प्रतिशत प्रीमियम की धनराशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त योजना के अन्तर्गत अनुबन्धित बीमा कम्पनी ''मिडसेव'' के समक्ष पूर्व–प्राविकृत स्थिति में 1129 मरीजों के इलाज पर रु0 35.94 लाख का दावा प्रस्तुत किया गया। पोस्ट अथोराईजेशन हेतु कार्यालय द्वारा रु0 20.30 लाख के दावे को समायोजित करने हेतु भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई, परन्तु जुलाई 2016 के पश्चात बीमा कम्पनी की सेवाऐं समाप्त कर दूसरी बीमा कम्पनी ''बजाज एलाइंज'' से अनुबन्ध गठित किया गया। वर्तमान में पूर्व बीमा कम्पनी ''मिडसेव'' बन्द हो चुकी है, जिसके परिणामस्वरुप लेखापरीक्षा अवधि तक रु0 35.94 लाख की प्रतिपूर्ति बीमा कम्पनी से नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि चिकित्सालय द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु बीमा कम्पनी को विवरण प्रेषित किया गया था परन्तु अभिलेखों के अपूर्ण रहने के कारण प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई। वर्तमान में बीमा कम्पनी बन्द हो गई है जिसके कारण प्रतिपूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिलेखों को ईलाज के दौरान ही पूर्ण किया जाना चाहिए था तथा समय पर ही बीमा कम्पनी से उसकी प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए थी।

अतः बीमा कम्पनी से समय पर प्रतिपूर्ति न किए जाने के परिणामस्वरुप रु0 35.94 लाख की हानि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर 2: रु0 60.00 लाख व्यय के बावजूद भी उद्देश्यों की पूर्ति न किया जाना।

शासन द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अनावासीय/आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु रु0 60.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकति प्रदान की गई (सितम्बर 2006), जिसका मुख्य उद्देश्य पावकीदेवी एवं आस–पास के क्षेत्रों की आवादी को लाभान्वित किया जाना था। योजना के अन्तर्गत मुख्य भवन (01), टाईप–I (02), टाईप–II (02) एवं टाईप–IV (01) का निर्माण किया जाना था। उक्त स्वीकृति के सापेक्ष कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल विकास संसाधन एवं निर्माण निगम, चम्बा को रु0 60.00 लाख[1] अवमुक्त किए गये।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल के सिविल निर्माण कार्यो से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत धनराशि रु0 60.00 लाख के सापेक्ष पूर्ण स्वीकृत धनराशि व्यय होने के पश्चात् प्रस्तावित कार्यों में से मुख्य भवन (01), टाईप–I (02) एवं टाईप–II (02) का निर्माण पूर्ण कर नियोक्ता विभाग को अक्टूबर 2011 में हस्तगत किए गये तथा प्रस्तावित चिकित्सा अधिकारी हेतु टाईप–IV (01) का निर्माण कार्य प्रारम्भ न करते हुए कार्य धनाभाव के कारण प्रारम्भ ही नहीं किया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित भवन हस्तगत होने के 16 माह बाद अर्थात मार्च 2013 में रु0 91.20 लाख का पुनरीक्षित आगणन इस आधार पर तैयार किया गया कि स्थल में पानी की गम्भीर समस्या थी एवं इस बीच दरों में वृद्वि भी हुई है। जिसे शासन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इसके पश्चात् कार्यदायी संस्था द्वारा पुनः नवम्बर 2014 में रु0 95.67 लाख का पुनरीक्षित आगणन इस आधार पर तैयार किया गया कि स्थल में पानी की गम्भीर समस्या एवं इस बीच दरों में वृद्वि हुई है। जिसे शासन द्वारा पुनः आपत्ति के साथ जनवरी 2015 में वापस लौटा दिया गया। शासन की आपत्तियों में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि अवशेष कार्य अन्तिम किस्त निर्गत किए जाने के लगभग 6 वर्ष पश्चात् पुनरीक्षित आगणन प्रेषित किए जाने का औचित्य एवं निर्माण कार्य में हुए विलम्ब से हुए टाईम/कास्ट ओवर रन एवं कार्य का समय से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन न किए जाने हेतु सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा था। कार्यालय द्वारा उक्त आपत्तियों हेतु कार्यदायी संस्था से फरवरी 2015 में आख्या मॉगी गई परन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा इस पर न तो कोई प्रतिउत्तर दिया गया एवं न ही कार्यालय द्वारा पुनः कार्यदायी संस्था से पत्राचार किया गया। इस प्रकार, कार्यालय द्वारा कार्य का समय से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन न किए जाने एवं समय पर स्वीकृत पूर्ण धनराशि अवमुक्त एवं व्यय किए जाने के पश्चात् भी योजना का पूर्ण न किया जाना न केवल कार्यालय की उदासीनता को प्रदर्शित करता है अपितु रु0 60.00 लाख व्यय किए जाने के पश्चात् भी योजना के उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं हुई, जिसके लिए योजना प्रस्तावित एवं स्वीकृत की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि पुनरीक्षित आगणन स्वीकृति के पश्चात् ही योजना पूर्ण हो पायेगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जनवरी 2015 में शासन की आपत्तियों का निराकरण दो वर्ष तक न किया जाना कार्य के प्रति कार्यालय की विफलता को प्रदर्शित करता है।

अतः रु0 60.00 लाख व्यय के बावजूद भी उद्देश्यों की पूर्ति न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

---

[1] दिसम्बर 2006 : रु0 30.00 लाख एवं फरवरी 2008 : रु0 30.00 लाख

भाग–II 'ब'

प्रस्तर 3 – दिशा–निर्देशों के विपरीत आशाओं को प्रदत्त रु0 41.33 लाख का अधिक भुगतान।

उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक संख्या यू0के0 एच0एफ0डब्लूए0 (एन0आर0एच0एम0/2010–11/29) दिनांक 24.05.2011 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 की अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती बी0पी0एल0 महिला को सात माह के पश्चात ही रु0 500 की राशि दी जाएगी। संस्थागत प्रसव से गर्भवती महिला को शहरी क्षेत्र में रु0 1000 तथा आशा को रु0 200 की राशि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिला को रु0 1400 तथा आशा को रु0 350 दिनांक 1 जून 2011 दी जाएगी। निर्देशों में स्पष्ट किया गया था कि पूर्व में जो रु0 600 की राशि आशा को दी जाती थी, दिनांक 1 जून 2011 से मात्र रु0 350 की राशि दी जायेगी तथा रु0 250 की राशि जो मरीज को वापस ले (drop back) जाने के लिए है वह आशा को नहीं दी जाएगी। यह dropback सुविधा केवल ग्रामीण क्षेत्र की उन गर्भवती महिलाओं (उपकेन्द्र को छोड़कर) को दी जाएगी जो नारमल प्रसव में 48 घंटे के बाद डिस्चार्ज होंगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल के जननी सुरक्षा योजना के वर्ष 2012–13 से 2016–17 (दिसम्बर 2016) तक के लेखा–अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि उक्त अवधि में कार्यालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आशा को निर्धारित देय राशि रु0 350 एवं शहरी क्षेत्र में निर्धारित देय राशि रु0 200 के स्थान पर क्रमशः रु0 600 एवं रु0 400 की राशि प्रदान की गई थी, जो कि 1 जून 2011 को प्रदत्त दिशा–निर्देशों के विपरीत था। कार्यालय द्वारा प्रदत्त एवं निर्धारित वास्तविक देय राशि का विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	क्षेत्र	आशाओं की कुल संख्या	प्रदत्त राशि (ग्रामीण @ 600 प्रति आशा एवं शहरी @ 400 प्रति आशा)	वास्तविक देय राशि (ग्रामीण @ 350 प्रति आशा एवं शहरी @ 200 प्रति आशा)	आधिक्य
2012–13	ग्रामीण	1636	981600.00	572600.00	409000.00
	शहरी	72	28800.00	14400.00	14400.00
2013–14	ग्रामीण	3572	2143200.00	1250200.00	893000.00
	शहरी	132	52800.00	26400.00	26400.00
2014–15	ग्रामीण	4377	2626200.00	1531950.00	1094250.00
	शहरी	0	0	0	0
2015–16	ग्रामीण	4319	2591400.00	1511650.00	1079750.00
	शहरी	0	0	0	0
2016–17	ग्रामीण	2354	1412400.00	823900.00	588500.00
	शहरी	142	56800.00	28400.00	28400.00
योगः–			**9893200.00**	**5759500.00**	**4133700.00**

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिशा–निर्देशों के विपरीत आशाओं को निर्धारित देय राशि रु0 57.60 लाख के सापेक्ष रु0 98.93 लाख का भुगतान किया गया, जिससे रु0 41.33 लाख का आधिक्य हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि निर्देश संज्ञान में न होने के कारण आधिक्य हुआ, जिसे भविष्य में निर्देशानुसार अनुपालन किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्देशों में स्पष्ट उल्लेख किया गया था तथा विभागीय निर्देश कार्यालय को संज्ञान में होने चाहिए थे।

अतः दिशा–निर्देशों के विपरीत आशाओं को प्रदत्त रु0 41.33 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर 4 : अनुबन्ध के विपरीत सर्विस टैक्स के रुप में रु0 3.55 लाख का अधिक भुगतान।

भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार वर्ष 2013–14 से स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के स्थान पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, जिसमें 0 से 18 वर्ष तक की आयुवर्ग वाले बच्चों की स्वास्थ्य जॉच हेतु वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण लक्ष्य निर्धारित किए गये थे, जिनमें प्रमुखतः (i) नवजात से लेकर 6 सप्ताह तक सभी डेलीवरी प्वाइंट पर उपलब्ध स्टाफ एवं आशा कार्यकत्री द्वारा घर–घर भ्रमण कर, (ii) 6 सप्ताह से 6 वर्ष तक आंगनबाडी स्तर पर आर0बी0एस0के0 स्वास्थ्य टीमों द्वारा एवं (iii) 6 से 18 वर्ष तक सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में आर0बी0एस0के0 टीमों द्वारा किया जाना था।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य टीमों द्वारा वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में लक्षित 4057 विद्यालयों के सापेक्ष 3682 विद्यालयों एवं लक्षित 7430 आंगनबाडियों के सापेक्ष 5964 आंगनबाडियों का भ्रमण किया गया। स्वास्थ्य टीमों के भ्रमण हेतु वाह्य स्रोतों से वाहनों को किराए पर लेने हेतु शासनादेश संख्या 65/ix-I/2013/ 215/2011 दिनॉक 17.01.2013 के क्रम में परिवहन आयुक्त, देहरादून द्वारा 01 अगस्त 2013 में निर्देशित किया था कि इच्छुक विभाग अपने जनपद के परिवहन कार्यालयों में पंजीकृत वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता से स्थानीय निविदा आमंत्रित कर वाहन किराए पर ले सकते हैं। कार्यालय द्वारा जनपद टिहरी गढवाल में उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु गठित 15 स्वास्थ्य टीमों के भ्रमणों हेतु मै0 शिवालिक ट्रैवल्स, टिहरी से 15 वाहनों को किराए पर लेने हेतु 09 सितम्बर 2014 में बिना निविदा आमंत्रित किए एक वर्ष के लिए अनुबन्ध गठित किया गया, जो कि उक्त निर्देशों का उलंघन था। गठित अनुबन्ध के अनुसार ट्रैवल्स एजेन्सी को विभाग द्वारा किराया मासिक आधार पर रु0 21,000 एवं पी0ओ0एल0 हेतु रु0 6,000 मात्र भुगतान किया जाना था, जिसमें वाहन को 12 किमी0 प्रति लीटर का औसत के अनुरुप प्रतिमाह किमी0 दर तय करनी थी। ट्रैवल्स एजेन्सी को सभी टैक्स, वाहन चालक का वेतन, वाहन की मरम्मत एवं अन्य सभी व्यय स्वयं वहन करने थे। लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा दिनॉक 11/2014 से 11/2015 तक ट्रैवल्स एजेन्सी को रु0 1,05,908.00 की आयकर कटौती के पश्चात् कुल रु0 51,89,458.00 का भुगतान किया गया जिसमें रु0 2,634.00 आयकर एवं रु0 1,29,129.00 सर्विस टैक्स का भुगतान अनुबन्ध के विपरीत दिया गया, जबकि अनुबन्ध के अनुसार ट्रैवल्स एजेन्सी को उक्त अवधि में प्रदत्त रु0 51,89,458.00 के सापेक्ष रु0 50,60,329.00 का भुगतान ही किया जाना चाहिए था। अतः उक्त अनुबन्ध में रु0 1,31,763.00 (रु0 2,634.00 आयकर + रु0 1,29,129.00 सर्विस टैक्स) का अधिक व्यय भार किया गया।

इसीप्रकार, कार्यालय द्वारा आगामी वर्ष हेतु 15 वाहनों को किराए पर लेने हेतु दिनॉक 23.10.2015 में निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें न्यूनतम निविदादाता मै0 शिवालिक ट्रैवल्स, टिहरी के साथ एक वर्ष हेतु दिनॉक 01.12.2015 में अनुबन्ध गठित किया गया। गठित अनुबन्ध के अनुसार ट्रैवल्स एजेन्सी को विभाग द्वारा किराया निविदा में दी गई न्यूनतम दरों के आधार पर आयकर की कटौती के पश्चात् रु0 29,545 मात्र भुगतान किया जाएगा, जिसमें एजेन्सी को किए जाने भुगतान में से विभाग द्वारा नियमानुसार आयकर कटौती की जानी थी। ट्रैवल्स एजेन्सी को सभी टैक्स, वाहन चालक का वेतन, वाहन की मरम्मत एवं अन्य सभी व्यय स्वयं

वहन करने थे। लेखापरीक्षा जॉच में पाया कि कार्यालय द्वारा दिनॉक 12/2015 से 09/2016 तक ट्रैवल्स एजेन्सी को रु0 84,240.00 की आयकर कटौती के पश्चात् कुल रु0 41,27,706.00 का भुगतान किया गया जिसमें रु0 4,464.00 आयकर एवं रु0 2,18,907.00 सर्विस टैक्स का भुगतान अनुबन्ध के विपरीत दिया गया, जबकि अनुबन्ध के अनुसार ट्रैवल्स एजेन्सी को उक्त अवधि में प्रदत्त रु0 41,27,706.00 के सापेक्ष मात्र रु0 39,08,799.00 का भुगतान ही किया जाना चाहिए था। अतः उक्त अनुबन्ध में रु0 2,23,371.00 (रु0 4,464.00 आयकर + रु0 2,18,907.00 सर्विस टैक्स) का अधिक व्यय भार किया गया। इस प्रकार, अनुबन्ध के विपरीत ट्रैवल्स एजेन्सी को सर्विस टैक्स के रुप में 11/2014 से 09/2016 तक रु0 3,55,134.00 (रु0 7,098.00 आयकर + रु0 3,48,036.00 सर्विस टैक्स) का अधिक भुगतान किया गया जो न केवल अनुबन्ध के विपरीत था वल्कि अनियमित भी था। विस्तृत विवरण **संलग्नक–1** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि ट्रैवल्स एजेन्सी द्वारा बिल बाउचर पर मासिक किराए के साथ ही सर्विस टैक्स सम्मिलित किया गया था, जिसके अनुसार ही आयकर की कटौती कर चैक द्वारा भुगतान किया गया। प्रकरण पर उच्च अधिकारी के निर्देश प्राप्त कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबन्ध में ट्रैवल्स एजेन्सी को देय मासिक किराए की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख किया गया था, जिसमें सर्विस टैक्स का कोई प्रावधान नहीं था।

अतः अनुबन्ध के विपरीत सर्विस टैक्स के रुप में रु0 3.55 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक–1

माह	बिल संख्या एवं तिथि	विल राषि	आयकर कटौती @ 2%	भुगतान का विवरण			अनुबन्ध के अनुसार			अन्तर आयकर कटौती (4 - 9)	अन्तर (5 - 10)
				राषि (3- 4)	चैक संख्या	दिनॉक	बिल राषि	आयकर कटौती @ 2%	वास्तविक देय राषि (8 - 9)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11/2014	8/08.12.2014	405000.00	8100.00	396900.00	347696	26.12.2014	405000.00	8100.00	396900.00	–	–
12/2014	12/05.01.2015	409204.00	8184.00	401020.00	854182	19.01.2015	409204.00	8184.00	401020.00	–	–
01/2015	14/01.02.2015	398847.00	7977.00	390870.00	843457	26.02.2015	398847.00	7977.00	390870.00	–	–
02/2015	17/02.03.2015	398366.00	7967.00	390399.00	891834	30.03.2015	398366.00	7967.00	390399.00	–	–
03/2015	20/01.04.2015	403229.00	8065.00	395164.00	891860	30.04.2015	403229.00	8065.00	395164.00	–	–
04/2015	101/09.05.2015	415057.00	8301.00	406756.00	891873	03.06.2015	400229.00	8005.00	392224.00	296.00	14532.00
05/2015	107/18.06.2015	432685.00	8654.00	424031.00	891913	19.08.2015	415980.00	8320.00	407660.00	334.00	16371.00
06/2015	113/06.07.2015	421986.00	8440.00	413546.00	891915	31.08.2015	405281.00	8106.00	397175.00	334.00	16371.00
07/2015	121/01.08.2015	414764.00	8295.00	406469.00	506804	30.09.2015	398059.00	7961.00	390098.00	334.00	16371.00
08/2015	128/09.09.2015	408451.00	8169.00	400282.00	506820	08.01.2016	391746.00	7835.00	383911.00	334.00	16371.00
09/2015	134/05.10.2015	404537.00	8091.00	396446.00	506848	08.01.2016	387832.00	7757.00	380075.00	334.00	16371.00
10/2015	137/01.11.2015	379940.00	7599.00	372341.00	506852	08.01.2016	363235.00	7265.00	355970.00	334.00	16371.00
11/2015	142/02.12.2015	403300.00	8066.00	395234.00	506850	08.01.2016	386595.00	7732.00	378863.00	334.00	16371.00
योगः– अनुबन्ध दि0 09.09.2014		**5295366.00**	**105908.00**	**5189458.00**			**5163603.00**	**103274.00**	**5060329.00**	**2634.00**	**129129.00**
12/2015	147 से 155 दि0 02.01.2016	467996.00	9360.00	458636.00	120747	21.03.2016	443175.00	8864.00	434311.00	496.00	24325.00
01/2016	159 से 167 दि0 03.02.2016	467996.00	9360.00	458636.00	120749	21.03.2016	443175.00	8864.00	434311.00	496.00	24325.00
02/2016	170 से 178 दि0 02.03.2016	467996.00	9360.00	458636.00	120751	21.03.2016	443175.00	8864.00	434311.00	496.00	24325.00
03/2016	193/25.03.2016	467993.00	9360.00	458633.00	120773	26.03.2016	443175.00	8864.00	434311.00	496.00	24322.00
04/2016	202/16.05.2016	467993.00	9360.00	458633.00	838874	01.10.2016	443175.00	8864.00	434311.00	496.00	24322.00
05/2016	204/16.06.2016	467993.00	9360.00	458633.00	C09160414461	04.10.2016	443175.00	8864.00	434311.00	496.00	24322.00
06/2016	206/01.07.2016	467993.00	9360.00	458633.00	C091604145085	04.10.2016	443175.00	8864.00	434311.00	496.00	24322.00
07/2016	213/01.08.2016	467993.00	9360.00	458633.00	C101605227570	22.10.2016	443175.00	8864.00	434311.00	496.00	24322.00
09/2016	221/01.10.2016	467993.00	9360.00	458633.00	C121604091527	26.12.2016	443175.00	8864.00	434311.00	496.00	24322.00
योगः– अनुबन्ध दि0 01.12.2015		**4211946.00**	**84240.00**	**4127706.00**			**3988575.00**	**79776.00**	**3908799.00**	**4464.00**	**218907.00**
महायोगः–		**9507312.00**	**190148.00**	**9317164.00**			**9152178.00**	**183050.00**	**8969128.00**	**7098.00**	**348036.00**

भाग–II 'ब'

प्रस्तर 5 : रु0 60.91 लाख की औषधि क्रय पर अनियमित व्यय।

शासनादेश सं0 1284/XXVII-5/2008-24/2003 दिनॉक 28 अक्टूबर 2009 एवं 932/XXVIII-4-2014-28(8)/2012 दिनांक 13 जुलाई 2015 के बिन्दु सं0 18 के अनुसार एक बार में क्रय की गई प्रत्येक औषधि के 20 प्रतिशत दवाओं का रैण्डम नमूने लेकर उनका अधिकृत, ख्याति प्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण कराया जाना चाहिए ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। शासन द्वारा औषधियों के नमूनों की जॉच हेतु अनुमोदित जॉचकर्ता फर्मों के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुरुप जॉच कराई जाए। यह प्रक्रिया क्रय की गई औषधि के 01–02 माह के भीतर सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त बिन्दु सं0 11 के अनुसार प्रत्येक फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए एवं बिन्दु सं0 31 के अनुसार जिन औषधियों का रैंडम सैम्पल लिया गया है उससे सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म को 90 प्रतिशत औषधि मूल्य का भुगतान औषधि की मात्रा सुरक्षित गन्तव्य स्थल तक पहुॅचने के 30 दिन के भीतर कर दिया जाना होगा एवं शेष 10 प्रतिशत धनराशि का भुगतान औषधि की गुणवत्ता सम्बन्धी जॉच आख्या प्राप्त होने के बाद 30 दिन के अन्दर किया जायेगा।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल के केन्द्रीय औषधि भण्डार से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 की अवधि में कुल रु0 60.91 लाख[2] की औषधियॉ क्रय की गई। लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि क्रय की गई औषधियां में से अधिकतर औषधियों का क्रय उनकी निर्माण की तिथि से काफी पुरानी अवधि की थी तथा अभिलेखों में औषधियों के निर्माण की तिथि का भी उल्लेख नहीं किया गया था, जिसके कारण वास्तविक विलम्ब तिथि का विश्लेषण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त क्रय की गई समस्त औषधियों का भुगतान औषधियों के प्राप्त होते ही शत–प्रतिशत एक बार में ही किया जा रहा था जिसके परिणामस्वरुप जहां एक ओर आपूर्तिकर्ता फर्म को अप्रत्यक्ष रुप से लाभ पहुॅचाए जाने की सम्भावना बनी रहती है वहीं दूसरी ओर औषधियों की निम्न गुणवत्ता प्राप्त होने पर उसके एवज में वापसी एवं पुनः आपूर्ति की सम्भावना भी खत्म हो जाती है। इस प्रकार, औषधि क्रय करने में उक्त शासनादेशों का पूर्णतः पालन न किए जाने परिणामस्वरुप विगत दो वर्षो में क्रय की गई रु0 60.91 लाख की औषधि अनियमित थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में निर्देशानुसार अनुपालन किया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही निर्गत किए गये थे जो कि कार्यालय को संज्ञान में होने चाहिए थे परन्तु उसका संज्ञान औषधियों को क्रय करते समय नहीं लिया गया।

अतः रु0 60.91 लाख की औषधि के अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

---

[2] वर्ष 2015–16 : रु0 3930989.00 एवं वर्ष 2016–17 : रु0 2159918.00

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
89 / 2005–06	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8	1
136 / 2006–07	1 एवं 2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10
162 / 2007–08	1 एवं 2	1, 2 एवं 3
94 / 2012–13	–	1 एवं 2 स्टैन 1 एवं 2
200 / 2015–16	1 एवं 2	1, 2 एवं 3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
89 / 2005–06	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1			
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–2			
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–3			
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–4			
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–5			
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–6			
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–7			
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–8			
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1			
136 / 2006–07	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1			
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–2			
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1			
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2			
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3			
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–4			
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–5			
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–6			
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–7			
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–8			
	भाग–।। 'ब'			

	प्रस्तर–9			
	भाग– II ‘ब’ प्रस्तर–10			
162 / 2007–08	भाग– II ‘अ’ प्रस्तर–1			
	भाग– II ‘अ’ प्रस्तर–2			
	भाग– II ‘ब’ प्रस्तर–1			
	भाग– II ‘ब’ प्रस्तर–2			
	भाग– II ‘ब’ प्रस्तर–3			
94 / 2012–13	भाग– II ‘ब’ प्रस्तर–1			
	भाग– II ‘ब’ प्रस्तर–2			
	स्टैन–1			
	स्टैन–2			
200 / 2015–16	भाग– II ‘अ’ प्रस्तर–1			
	भाग– II ‘अ’ प्रस्तर–2			
	भाग– II ‘ब’ प्रस्तर–1			
	भाग– II ‘ब’ प्रस्तर–2			
	भाग– II ‘ब’ प्रस्तर–3			

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

1. औषधि की स्टॉक पंजिकाओं का रख–रखाव उचित ढंग से किया जा रहा था।
2. कार्यालयीन अभिलेखों का रख–रखाव उचित ढंग से किया गया था।

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) }
   (ii) } –– शून्य ––

2. सतत् अनियमितताऐं:

   (i) }
   (ii) } –– शून्य ––

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डा0 अर्जुन सिंह सेंगर	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	10.09.2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र